



आर.ई.ओ.-126

जोधपुर
विद्युत वितरण
निगम लि०

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

न्यू पावर हाऊस, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जोधपुर-342 003 फोन नं. 0291 2651224 (का) फेक्स नं० 2651227

क्रमांक:- प्रनि/जोविनिनिलि/अनु-पीपीएम/पत्रा०सामान्य/प्रे०सं०

2333

जोधपुर, दिनांक 21/11/06

आदेश

संशोधित कृषि नीति-2004 (दिनांक 18.9.2004) के बिन्दु संख्या 7(i) से (iv) अ में कृषि आवेदकों को कृषि कनेक्शनों में मांग पत्र में तुरन्त प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान किया गया था। इसी क्रम में बिन्दु संख्या 7 (iv) (अ) के पश्चात 7(iv) (ब) निम्नानुसार जोडा जाता है :-

7(iv) (ब)	कीर्ति चक्र से अलंकृत सैनिकों के नाम अथवा मृत्यु होने पर विधवा या पुत्र-पुत्री के नाम जमीन नहीं हो तो उसके माता-पिता को संबंधित सैनिक संस्था से मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर एक विद्युत कृषि कनेक्शन।	तुरन्त प्राथमिकता
-----------	---	-------------------

यह आदेश 1 अप्रैल 2007 से प्रभावी माना जावेगा।

{एम.एल.त्रिपाठी}
अधीक्षण अभियन्ता (पी.पी.एण्ड.एम)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।